परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल रहने के कारण स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना

6140. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रण में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवाएं परिवार नियोजन कार्यक्रम समूचे देश मे क्रियान्वित करने में असफल रहने के कारण समाप्त कर दी गई थीं ।

(ख) उनमें से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक सेवा में वापस ले लिया गया है ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान करेगा जिसमें वे सेवा में नहीं थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) सारे देश को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने में असमर्थ रहने के कारण केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई । केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कर्मचारियों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का स्टाफ शामिल नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ की मांगें

6141. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ ने 17 अप्रैल, 1977 को उन्हें एक मांग पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य मांगो का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों की जांच की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ की मुख्य मांगों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) . क्योंकि ये कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इस लिए इस कर्मचारी संघ के पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ ने जो मांगें की हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में सहायक मलेरिया अनुरक्षण अधिकारियों की संख्या 87 है और ये पिछले 24 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं । इन्हें मलेरिया एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यों का विस्तृत अनुभव है । ये व्यक्ति तकनीकी प्रशिक्षण

प्राप्त विज्ञान स्नातक हैं और इन्होंने दिल्ली तथा लखनऊ के मलेरिया विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रो से विशेष मलेरिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पास किया है।

(2) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार सहायक मलेरिया अनुरक्षण अधिकारियो के उपर्युक्त 87 पदो को "स्थाई" बना दिया गया।

(3) मलेरिया कार्यकर्ताओं मे बहुत निराशा फैली हुई है क्योकि राज्य सरकार द्वारा स्थाई बनाए गए उपरोक्त पदो को केन्द्रीय सरकार की संशोधित योजना के अनुसार समाप्त किया जा रहा है। यह योजना पिछली काग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी और जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही लागू करने जा रही है।

(4) 12 हजार मलेरिया कार्यकर्ताओ से से, जो पिछली 20 मे 24 वर्षों से सेवा कर रहे हैं केवल 8 व्यक्ति ही स्थाई किए गए है और जिला स्तर के पदों पर पदोन्नति के सभी दरवाजे पूर्णत: बन्द हो गए है, जबकि, अन्य राज्यों, जैसे मैसूर, मद्रास और मध्य-प्रदेश आदि मे निम्न संवर्ग के व्यक्तियो को ही जिला स्तर के अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया जाता है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध है कि नए बनाए गए जिला मलेरिया अधिकारियों (डी० एम० ओज) के 56 पदों को सहायक मलेरिया अधिकारियों (ए० एम० एम० ओ०) की पदोन्नति द्वारा ही भरा जाए और इस प्रकार नए पैटर्न में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को खपा लिया जाएगा और पदोन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे जिसके फलस्वरूप हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को कार्य करने की नई प्रेरणा मिलेगी।

(5) जिला मलेरिया अधिकारियों के उपर्युक्त पदों पर नए एम० बी० बी० एस० डाक्टर नियुक्त करना मलेरिया योजना के लिए किसी भी प्रकार लाभ-दायक नही है क्योकि इस मलेरिया क्षेत्र के कार्य, छिडकाव कार्य के तौर-तरीके सन्निरीक्षण स्टाफ की निगरानी और उनके काम का मूल्याकन करने आदि के बारे में कोई व्यावहारिक ज्ञान अथवा प्रशिक्षण नही होता है।

(6) नए एम० बी० बी० एस० डाक्टर को जिला मलेरिया अधिकारी के रूप में मलेरिया योजना मे लगाने की बजाय, जहा उसे कोई चिकित्सा कार्य नही करना होता है, उसे गाव के सचल औषधालयो मे गरीब रोगियो के नुस्खे लिखने तथा दवाइया देने की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है।

(7) जहा तक चिकित्सा सम्बन्धी मार्ग-दर्शन तथा देख-रेख का सम्बन्ध है मुख्य चिकित्सा अधिकारी मलेरिया अधिकारियो का मार्ग-दर्शन करने के लिए पूर्णत. पर्याप्त है। ये मलेरिया अधिकारी सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन होगे।

(8) इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी महत्वपूर्ण पदो पर एम० बी० बी० एस० डाक्टर लगे हुए है तथा मलेरिया के बारे मे मार्ग-दर्शन करने के लिए भी उन्ही की सेवाएं हमेशा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नए व्यक्तियो को जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर नियुक्त करना तथा मलेरिया के क्षेत्र में पुराने, अनुभवी और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों

को, जिनके पास 20–24 वर्ष का असाधारण क्षेत्रीय अनुभव है, निकाल बाहर करना इन कार्यकर्ताओं को न्याय से वंचित करना है ।

(9) वित्तीय पहलुओं के बारे में भी यदि हिसाब लगाया जाए तो उपर्युक्त सहायक मलेरिया अधिकारियों को पदोन्नत करके सरकारी धन में काफी बचत की जा सकती है क्योंकि उनका सिलेक्शन ग्रेड 400 से 700 रुपए है जबकि एम० बी० बी० एस० डाक्टरों का वेतनमान 500 से 1200 रुपए है ।

10 यदि डी० एम० ओ० के पदों पर उन अभागे, चिरकाल के अपेक्षित तथा निराश मलेरिया कार्यकर्ताओं की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो वर्तमान सभी कार्यकर्त्ता, अर्थात् 80 पद ए० एम० एम० ओ० के 22 पद ए० यू० ओ० के और एस० एम० आई० तथा एम० एल० टी० के कुछ वरिष्ठ संवर्ग इस संशोधित योजना में शामिल हो जाएंगे । इस प्रकार संशोधित योजना में कुछ श्रेणियों के पदों को समाप्त करने के बारे में जो व्यवस्था की गई है उससे कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी अथवा उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा ।

11. वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद मलेरिया संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा इन पदों को समाप्त कर देने से (जैसे कि योजना में प्रस्तावित है) जिला स्तर का सारा काम अस्त-व्यस्त हो जाएगा और इस सम्पूर्ण योजना के लिए यह कदम घातक सिद्ध होगा ।

12. मलेरिया कार्यक्रमों (राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम) को जब से प्रारम्भ किया गया था तब से आज तक, अर्थात् 1952 से 1977 तक केन्द्रीय मलेरिया संस्थान दिल्ली अथवा लखनऊ के जो भी अधिकारी जिला मुख्यालयों में निरीक्षण या दौरे के लिए आते रहे, वे सब यही आश्वासन देते रहे कि उपर्युक्त कार्यकर्ताओं का भविष्य उज्जवल है और उन्होंने इन लोगों को किसी दूसरी सेवा को अपनाने की कभी अनुमति नहीं दी ।

National Safety Council

6142 SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have received memorandum from the National Safety Council Staff Union, Bombay;

(b) whether the memorandum contains several complaints of mismanagement of the affairs of the National Safety Council; and

(c) what steps have been taken by Government to look into these complaints?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) National Safety Council being a Society registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860, a copy of the Memorandum has been sent to the Chairman of the Council for necessary action.